औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः— (क)** अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री छोटू राम डांगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अम्ब में प्रधानाचार्य/आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहेः—

(ख) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नानुसार है।

(i) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/2001**

1 पैरा—4 अंशतः निर्णीत

2 पैरा—8 अंशतः निर्णीत (निम्न विवरणानुसार ₹29,870/—प्राप्त की जा चुकी है तथा शेष बची राशि की वसूली की जानी वांछित है)

मांग एवं संग्रहण पंजिका पृष्ठ संख्या	वसूली गई राशि
33	10320
33	2500
33	6600
39	2150
43	2800
43	5500
	₹29,870

3 पैरा—17 अनिर्णीत

(ii) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002**

1 पैरा—8 (क) अनिर्णीत

2 पैरा—10 (क) अनिर्णीत

(iiii) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003**

1 पैरा—5 अनिर्णीत

2 पैरा—6 अनिर्णीत

3 पैरा—7 अनिर्णीत

4 पैरा—9 अनिर्णीत

5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–18	अनिर्णीत	
10	पैरा–19	अनिर्णीत	
11	पैरा–20	अनिर्णीत	
12	पैरा–22	अनिर्णीत	
13	पैरा–26 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–26 (ख)	अनिर्णीत	

(iv) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2005**

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–17	अनिर्णीत

(v) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007**

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत

(vi) **अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010**

1	पैरा–4 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(ब्याज की ₹5285 को रोकड़ बही में दर्ज कर लिया गया है)
3	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(₹500 बैंक द्वारा क्रेडिट कर दी गई है, व वास्तव में ₹42500 ही बैंक में जमा करवाई गई है)
4	पैरा–4 (घ)	निर्णीत	(₹100 से रोकड़ बही का योग दिनांक 5.8.15 को बढ़ा लिया गया है)
5	पैरा–5	निर्णीत	(रोकड़ बही प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित कर दी गई है)
6	पैरा–6	अनिर्णीत	
7	पैरा–7	अनिर्णीत	
8	पैरा–8	निर्णीत	(₹8550 की वसूली की पुष्टि की गई)
9	पैरा–9	निर्णीत	(₹225 की वसूली की पुष्टि की गई)
10	पैरा–10	निर्णीत	(₹200 की वसूली की पुष्टि की गई)
11	पैरा–11	निर्णीत	(₹200 की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
12	पैरा–12 (i) (ii) (iii)	अनिर्णीत	
13	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–13 (ख) (i)	अनिर्णीत	

15	पैरा–13 (ख) (ii)	अनिर्णीत
16	पैरा–14	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–18	अनिर्णीत
21	पैरा–19	अनिर्णीत
22	पैरा–20	अनिर्णीत
23	पैरा–33	अनिर्णीत
24	पैरा–34 (i) (ii) (iii)	अनिर्णीत
25	पैरा–35	अनिर्णीत
26	पैरा–36 (i)	अनिर्णीत
27	पैरा–36 (ii)	अनिर्णीत
28	पैरा–36 (iii)	अनिर्णीत
29	पैरा–36 (iv)	अनिर्णीत
30	पैरा–36 (v)	अनिर्णीत
31	पैरा–36 (vi)	अनिर्णीत
32	पैरा–36 (vii)	अनिर्णीत
33	पैरा–36 (viii)	अनिर्णीत
34	पैरा–36 (ix)	अनिर्णीत

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹)लाखों में
1	7	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत में निवेशित राशियों तथा निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
2	12	श्री यशपाल भारद्वाज को खेलकूद प्रतियोगिता हेतु दी गई अग्रिम राशि के समायोजन वाउचरों में पाई गई अनियमितताओं के बारे में	विवरण पैरे में दिया गया है
3	17	छात्र कल्याण निधि से राशि का आईएमसी निधि को गलत हस्तांतरण बारे	4.42
4	19	आवेदन पत्रों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों के बगैर संस्थान प्रतिभूति व छात्रावास प्रतिभूति की राशि का भुगतान करना	1.18
5	21	छात्र कल्याण निधि से प्रशिक्षकों को मानदेय की राशि का भुगतान करने बारे	0.81
6	22	छात्र कल्याण निधि से अनियमित भुगतान करना	0.15
7	24	बिजली के बिलों के रूप में अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना	0.15
8	26	बकाया वेतन बिल की प्रतिपूर्ति बारे	7.08

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 24.7.2015 से 1.8.2015 के दौरान संस्थान में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 7/10, 7/11, 8/12, 7/13 व 7/14

व्ययः– 9/10, 10/11, 1/13, 8/13 व 12/14

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना, अधूरी सूचना एवं सूचना प्रदान ही न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के वर्तमान निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹14400/– आंका गया, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 587518 दिनांक 7.8.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना द्वारा प्रस्तुत संस्थान की अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.3.2015 को अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित निम्नलिखित प्रकार से है। वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए प्रारम्भिक शेष के आंकड़े गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित वित्तीय स्थिति से मेल नहीं खाते है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) छात्र कल्याण निधि

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	114892	2104874	9147	2228913	1845071	383842
2011–12	383842	2040925	10344	2435111	2164148	270963
2012–13	270963	1622153	20562	1913678	1541809	371869

2013–14	371869	1388936	13566	1774371	1570714	203657
2014–15	203657	2467929	31516	2703102	1889660	813442

(i)	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.15 का अन्तिम शेष	₹813442
(ii)	दिनांक 31.3.2015 को बचत खाता संख्या 20096021247 के0सी0बी0 ऊना में जमा राशि	₹794619
(iii)	दिनांक 31.3.15 को हस्तगत राशि	₹18819
	कुल योग	**₹813438**
	अन्तर	₹4.00

अन्तर के कारण

दिनांक 2.7.13 को आरम्भिक शेष ₹23027 के स्थान पर ₹23023 उठाया गया है तथा उक्त कम जमा करवाई गई राशि दिनांक 27.7.15 को अंकेक्षण के दौरान जमा करवा दी है ₹4.00

(ख) भवन निधि

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	1192605	224770	33317	1450692	1305672	145020
2011–12	145020	824543	10177	979740	783190	196550
2012–13	190550	136500	6418	339468	167403	172065
2013–14	172065	172250	9252	353567	–	353567
2014–15	353567	253250	10727	617544	–	617544

(i)	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.15 को अन्तिम शेष	**617544**
(ii)	दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्या में जमा राशि	**₹617544**

नोटः– (i) इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.15 को सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशि जमा थी, जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया है। **₹1201165**

क्र0सं0	एफ0डी0 सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	बैंक का नाम
1	1283313	14.7.14	70198	1 वर्ष	14.7.15	76732	9%	के0सी0सी0बी0 ऊना
2	346768	6.12.14	424113	1 वर्ष	6.12.15	463591	9%	के0सी0सी0बी0 ऊना
3	346769	6.12.14	706854	1 वर्ष	6.12.15	772650	9%	के0सी0सी0बी0 ऊना
		कुल योग	**1201165**					

(ग) संस्थान प्रतिभूति निधि

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	361116	163900	7751	532767	508500	24267
2011–12	24267	191400	1371	217038	176800	40238
2012–13	40238	130000	1799	172037	126100	45937
2013–14	45937	128700	2309	176946	105000	71946
2014–15	71946	247900	3308	323154	126600	196554

(i)	दिनांक 31.3.15 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	₹196554
(ii)	दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्या 20096021258 में जमा राशि	₹196754
(iii)	अन्तर (196754–196554)	**₹200**
	अन्तर के कारण	
(i)	दिनांक 28.4.14 को चैक संख्या 063770 ₹600 श्री संजय कुमार को जारी किया गया जिसे भुगतान हेतु बैंक में 31.3.15 तक प्रस्तुत नहीं किया गया	(+) 600
(ii)	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07 के अन्तर्गत पैरा संख्या 4 (iv) पर उठाई गई आपत्ति के अन्तर्गत ₹100 का रोकड़ बही में दर्ज किए बगैर ही बैंक में जमा करवाना यद्यपि उक्त राशि रोकड़ बही के पेज नम्बर 20 पर दर्ज कर ली गई लेकिन योग में सम्मिलित नहीं की गई।	(+) 100
(iii)	दिनांक 17.9.09 को बैंक में ₹500 कम जमा करवाना	(–) 500
	शुद्ध अन्तर (600+100–500)	₹200

नोटः– इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित ₹303909 को रोकड़ बही में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) प्रशिक्षण एवं स्थापन निधि

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	177529	45750	6719	229998	9048	220950
2011–12	220950	62150	10023	293123	3304	289819
2012–13	289819	42600	12473	344892	827	344065
2013–14	344065	40800	14048	398913	14346	384567
2014–15	384567	197750	14245	596562	209229	387333

(i)	दिनांक 31.3.2015 को के0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्या 20096039602 में जमा राशि	₹381383
(ii)	दिनांक 31.3.15 को हस्तगत राशि	₹5950
	कुल योग	**₹387333**

5 प्रशिक्षण एवं स्थापन निधि की अवधि 1.4.2007 से 31.3.2010 की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान न करने बारे

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2007 से 31.3.2010 के दौरान की प्रशिक्षण एवं स्थापन निधि की वित्तीय स्थिति की सूचना न तो गत अंकेक्षण दल को प्रदान नहीं की गई थी व न ही वर्तमान अंकेक्षण में प्रदान की गई है। अतः उक्त निधि की उक्त अवधि की वित्तीय स्थिति तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला ऊना की विभिन्न निधियों की राशियों को अलग न दर्शाने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 4/2010 से 3/2015 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला ऊना के प्रशिक्षुओं से शुल्क एवं निधियों के रूप में वसूली गई राशियों को भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (लड़कों) ऊना के खातों में जमा करवाया गया था तथा चर्चा के दौरान बताया गया कि गत वर्षों से उक्त प्रथा जारी है। यद्यपि दोनों संस्थानों का नियन्त्रण एक ही अधिकारी के पास है तथापि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला ऊना की आय–व्यय का हिसाब अलग रखना अपेक्षित है, ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला ऊना की वास्तविक आय–व्यय का आंकलन भी सम्भव हो सके। अतः परामर्श दिया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला में घटित होने वाले सभी व्यवहारों (Transactions) का अलग से हिसाब रखा जाए।

7 सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत में निवेशित राशियों तथा निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का रोकड़ वही में लेखाँकन न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के विभिन्न निधि खातों में गत वर्षों से सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत राशियाँ विभिन्न बैंकों में निवेशित की गई है व उन पर समय–2 पर ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन न तो निवेशित राशियों को और न ही निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही मे ंलेखाकिंत किया जा रहा है। इस प्रकार संस्थान द्वारा सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों को रोकड़ बही के अन्तशेष में न दर्शाना व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज को आय पक्ष में न दर्शाना अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। अतः उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ तुरन्त अपेक्षित कार्रवाई करने के प्रयोजन से लाया जाता है, ताकि सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों व निवेशित रोशियों पर समय समय पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन सम्भव हो सके। संस्था द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार अवधि 1.4.2010 से 31.3.

2015 के दौरान जिन–2 निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर समय–2 पर अर्जित ब्याज जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया है, उनका विवरण निम्नलिखित है।

(क) भवन निधि

क्र0 सं0	एफ0डी0 सं0 व बैंक	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज की दर	परिपकवता तिथि	परिपक्वता राशि	प्राप्त ब्याज
1	के0सी0सी0बी0 ऊना 349218 / 1283313	13.7.08	42382	24 माह	8.75%	13.7.10	50392	8010
		13.7.10	50392	12 माह	6.50%	13.7.11	53748	3356
		13.7.11	53748	12 माह	9.25%	13.'7.12	58895	5147
		13.7.12	58895	12 माह	9%	14.7.13	64377	5482
		14.7.13	64337	12 माह	8.75%	14.7.14	70198	5861
		14.7.14	70198	12 माह	9%	14.7.15	76732	
2	346769	6.12.10	500000	12 माह	8%	6.12.11	541216	41216
		6.12.11	541216	12 माह	9.25%	6.12.12	593042	51826
		6.12.12	593042	12 माह	8.75%	6.12.13	646661	56319
		6.12.13	646661	12 माह	9%	6.12.14	706854	60193
		6.12.14	706854	12 माह	9%	6.12.15	772650	
3	346768	6.12.10	300000	12 माह	8%	6.12.11	324730	24730
		6.12.11	324730	12 माह	9.25%	6.12.12	355826	31096
		6.12.12	355826	12 माह	8.75%	6.12.13	387997	32171
		6.12.13	387997	12 माह	9%	6.12.14	424113	36116
		6.12.14	424113	12 माह	9%	6.12.15	463591	

(ख) प्रतिभूति निधि

क्र0 सं0	एफ0डी0 सं0 व बैंक का नाम आई0डी0बी0आई0 ऊना	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपकवता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज की दर	अवधि	अर्जित ब्याज
1	109232	7.12.10	225000	8.6.11	232816	7%	6 माह 1 दिन	7816
	1185007	8.6.11	232816	9.12.11	242454	8.15%	6 माह 1 दिन	9638
	1793812	29.12.11	242454	30.12.12	266390	9.50%	12 माह 1 दिन	23936
	3089535	30.12.12	266390	31.12.13	291258	9%	12 माह 1 दिन	24868
	4702872	31.12.13	291258	2.7.14	303909	9%	12 माह 1 दिन	12651

8 अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि से सम्बन्धित अनुपस्थिति विवरणी व हाजिरी रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में ₹30975/– की वसूली की गई दर्शाई है।

क्र0सं0	रसीद संख्या	माह	वसूली गई राशि	विवरण
1	10450	7/10	330	इम्बैन्डरी
2	10451	7/10	230	कटिंग
3	10452	7/10	255	कोपा–(ए)
4	10453	7/10	505	कोपा–(बी)
5	10454	7/10	795	फिटर
6	10455	7/10	530	इलैक्ट्रीशियन
7	10456	7/10	450	फिटर यूनिट–II
8	10457	7/10	495	फिटर यूनिट–I
9	10458	7/10	410	पलम्बर यूनिट–I
10	10459	7/10	220	टूल एंड डाई
11	10460	7/10	560	कोपा
12	10461	7/10	235	मोटर मकैनिक व्हीकल यूनिट–I
13	10462	7/10	235	मोटर मकैनिक व्हीकल यूनिट–II
14	10463	7/10	635	पलम्बर यूनिट–II
15	10464	7/10	250	बैल्डर
16	10765	7/10	350	इलैक्ट्रीशियन यूनिट–I
17	10466	7/10	635	इलैक्ट्रीशियन यूनिट–II
18	10467	7/10	1045	मकैनिक डीजल यूनिट–ए
19	10468	7/10	1135	मकैनिक डीजल यूनिट–बी
20	10469	7/10	295	इलैक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष
21	10470	7/10	620	टर्नर
22	10471	7/10	300	कारपेन्टर
23	10472	7/10	370	ड्रैस मेकर
24	10473	7/10	450	इम्बैन्डरी
25	10482	7/10	385	फिटर
26	10483	7/10	255	पलम्बर सैक्शन–बी
27	10484	7/10	850	डीजल मकैनिक–ए
28	10485	7/10	1080	डीजल मकैनिक–बी
29	11473	7/11	560	इलैक्ट्रीशियन–(ए)
30	11474	7/11	835	इलैक्ट्रीशियन–(बी)
31	11475	7/11	420	बैल्डर
32	11476	7/11	665	कारपेन्टर
33	11477	7/11	280	पलम्बर
34	11478	7/11	670	इलैक्ट्रीशियन–2011
35	11479	7/11	435	पलम्बर
36	11480	7/11	230	कटिंग एंड स्वीमिंग

37	11481	7/11	315	इम्बैन्डरी
38	11482	7/11	340	कोपा
39	11484	7/11	825	फिटर
40	11485	7/11	445	इलैक्ट्रीशियन
41	11486	7/11	660	डीजल मकैनिक यूनिट–I
42	11487	7/11	1080	डीजल मकैनिक यूनिट–II
43	11488	7/11	200	टर्नर
44	11489	7/11	440	कोपा यूनिट–II
45	12632	7/13	560	कटिंग
46	12633	7/13	540	पलम्बर
47	12634	7/13	940	डीजल मकैनिक
48	12635	7/13	360	पलम्बर–बी
49	12636	7/13	1880	इलैक्ट्रीशियन
50	12637	7/13	720	इलैक्ट्रीशियन पुराना कैम्पस
51	12638	7/13	760	कारपेन्टर
52	12639	7/13	530	फिटर
53	12640	7/13	840	बैल्डर
54	12641	7/13	440	इम्बैन्डरी
55	12642	7/13	960	कोपा–II
56	12643	7/13	140	टर्नर
		योग	**30975**	

उपरोक्त उल्लेखित अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई ₹30975/– से सम्बन्धित अनुपस्थिति विवरणी व सम्बन्धित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं के हाजिरी रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अनुपस्थिति विवरणी व प्रशिक्षुओं के हाजिरी रजिस्टरों के अभाव में अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि की सत्यता की जांच सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वाँछित अभिलेख सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई राशि की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

9 शुल्क एवं निधियों के रूप मे प्राप्त की गई राशि हेतु जारी की गई रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से शुल्क व निधियों के रूप में दिनांक 8.8.2012 व 9.8.2012 को रसीद संख्या 13846 से 13900 के अन्तर्गत ₹128340/– व रसीद संख्या 12101 से 12120 के अन्तर्गत ₹117400/– की वसूली की गई दर्शाई गई है, परन्तु उपरोक्त उल्लेखित रसीदें अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। रसीदों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित प्राप्त की गई राशि की सत्यता की सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः शुल्क एवं

निधियों के रूप में प्राप्त की गई आय हेतु जारी की गई रसीदें सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि शुल्क एवं निधियों के रूप में प्राप्त दर्शाई गई राशि की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

10 प्रशिक्षुओं से प्राप्त ₹33600/— को सरकारी कोष में जमा करवाने के बारे में

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 8.8.2012 को रसीद संख्या 12064 से 12089 के अन्तर्गत होस्टल में रह रहे 26 प्रशिक्षुओं से होस्टल के किराये के रूप में ₹1200/— प्रति प्रशिक्षु की दर से ₹31200/— (26X1200) की वसूली की गई थी, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया। उक्त अनियमितता के प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि से आहरित करने उपरान्त यह राशि चालान द्वारा दिनांक 1.8.2015 को सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है।

(ख) इसी तरह दिनांक 18.8.2010 को रसीद संख्या 11133 से 11136 के अन्तर्गत इलैक्ट्रिकल ट्रेड के 4 प्रशिक्षुओं से शैक्षणिक शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षु से ₹2400/— की दर से ₹9600/— की वसूली की गई, लेकिन उक्त वसूली गई राशि में से केवल ₹7200/— ही सरकारी कोष में जमा करवाई गई थी तथा शेष (₹9600—₹7200=₹2400) छात्र कल्याण निधि में जमा नहीं करवाई गई। इस प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया, जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि से आहरित करने के उपरान्त यह राशि दिनांक 1.8.2015 को चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

11 सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त ही सरकारी कोष में जमा करवाना तथा सरकारी राशि को सरकारी कोष में देरी से जमा करवाना

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में दिनांक 8.7.2013 से 16.8.2013 के दौरान ₹341500/— तथा दिनांक 5.7.2014 से 15.9.2014 के दौरान ₹526400/— की वसूली की गई है, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को पहले छात्र कल्याण

निधि में जमा करवाया गया है व उसके उपरान्त कई दिनों के बाद क्रमशः दिनांक 27.8.2013 को ₹341500/– व दिनांक 5.12.2014 को ₹526400/– चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई, जबकि वित्तीय नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी राशि के अस्थाई दुरूपयोग करने के उद्देश्य से ही उक्त राशि को पहले छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया है व कई दिनों बाद यह सरकारी कोष में जमा करवाई गई है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी राशि की वसूली के उपरान्त अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अस्थाई दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी से जमा करवाई गई
1	8.7.13	43700	27.8.13	49 दिन
2	11.7.13	68500	27.8.13	45 दिन
3	15.7.13	4900	27.8.13	42 दिन
4	18.7.13	3000	27.8.13	39 दिन
5	19.7.13	5800	27.8.13	38 दिन
6	3.8.13	13200	27.8.13	23 दिन
7	8.8.13	29300	27.8.13	18 दिन
8	12.8.13	109400	27.8.13	14 दिन
9	13.8.13	33600	27.8.13	13 दिन
10	16.8.13	30100	27.8.13	10 दिन
11	5.7.14	82200	5.12.14	152 दिन
12	8.7.14	88400	5.12.14	149 दिन
13	10.7.14	119400	5.12.14	147 दिन
14	15.7.14	11200	5.12.14	142 दिन
15	1.8.14	24000	5.12.14	125 दिन
16	7.8.14	69400	5.12.14	119 दिन
17	14.8.14	89800	5.12.14	112 दिन
18	29.8.14	35800	5.12.14	97 दिन
19	15.9.14	6200	5.12.14	80 दिन

(ख) इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में चालान द्वारा वसूली के अगले दिन जमा न करवाकर कई दिनों तक हस्तगत रखकर उसका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है, जबकि वित्तीय

नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी से जमा करवाया गया
1	14.7.10	251600	19.7.10	5 दिन
2	27.8.10	50800	7.9.10	10 दिन
3	14.9.10	7800	20.9.10	5 दिन
4	23.9.10	6600	29.9.10	5 दिन
5	25.9.10	2600	20.10.10	24 दिन
6	14.10.10	1200	20.10.10	5 दिन
7	11.7.11	105100	16.7.11	4 दिन
8	12.8.11	39800	18.8.11	5 दिन
9	19.8.11	54100	25.8.11	5 दिन
10	16.7.12	9000	21.7.12	4 दिन
11	9.8.12	84400	24.8.12	14 दिन
12	27.8.12	8000	7.9.12	10 दिन
13	26.8.13	3000	9.9.13	13 दिन
14	9.9.13	2300	16.9.13	6 दिन
15	20.10.13	1200	19.12.13	59 दिन
16	5.2.15	219800	13.2.15	7 दिन

12 श्री यशपाल भारद्वाज को खेलकूद प्रतियोगिता हेतु दी गई अग्रिम ₹50000/– के समायोजन वाउचरों में पाई गई अनियमितताओं के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 8/2010 के दौरान लड़कों की बाइसवीं हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पोर्टस मीट, जोकि शमसी में सम्पन्न हुई, के दौरान आई0टी0आई0 ऊना के 19 प्रशिक्षुओं, आई0टी0आई0 बंगाणा के 7 प्रशिक्षुओं तथा आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़ के 1 प्रशिक्षु अर्थात कुल 27 प्रशिक्षुओं ने दिनांक 25.6.2010 से 30.6.2010 के दौरान प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके दौरान निम्नलिखित व्यय किए गए दर्शाए गए हैं।

क्र0सं0	विवरण	राशि	टिप्पणी
1	दैनिकी भत्ता	17280	(27 प्रशिक्षु ₹80 प्रतिदिन की दर से आठ दिन हेतु)
2	किराया	3547	(एच आर टी सी वाउचर–4598 35 प्रशिक्षुओं हेतु (4598/35X27)
3	जलपान व्यय	1010	(1310/35X27)
4	प्रतिभागिता शुल्क	4050	(35 प्रशिक्षुओं हेतु ₹150 प्रति प्रशिक्षुओं की

			दर से 35X150=5250) भुगतान 5250/35X27=4050
5	खेल प्रवेश शुल्क	600	(₹100 प्रति खेल की दर से 6 खेलों हेतु)
6	एफीलेशन फीस	2500	
7	खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन शुल्क	405	(₹15 प्रति खिलाड़ी की दर से 27 खिलाड़ियों हेतु (525/35X27)
8	भोजनालय प्रवेश शुल्क	1000	
9	दवाईयाँ	3911	
	कुल योग	**34303**	
श्री यशपाल भारद्वाज को दिया गया अग्रिम		50000	
	व्यय	34303	
जमा करवाई गई शेष राशि		₹15697	

उपरोक्त उल्लेखित व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अनियमिततएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित दैनिकी भत्ते के रूप में व्यय दर्शाई गई ₹17280/– से सम्बन्धित संयुक्त भोजनालय की रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा उक्त राशि को प्रतिभागियों को नगद में भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जबकि नियमानुसार प्रतिभागियों को दैनिकी भत्ते का नकद में भुगतान नहीं किया जा सकता है व दैनिकी भत्ते की राशि को आयोजक संस्थान के संयुक्त भोजनालय में जमा करवाना अनिवार्य होता है तथा उनसें संयुक्त भोजनालय की रसीद प्राप्त करना अपेक्षित होती है। अतः उपरोक्त उल्लेखित दैनिकी भत्ते की राशि को नकद में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) जलपान पर व्यय दर्शाई गई उपरोक्त ₹1010/– से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि इससे सम्बन्धित अभिलेख में मौजूद नहीं है। बिल/वाउचर के अभाव में जलपान पर व्यय की गई राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित बिल/वाउचर सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि कृत भुगतान का नियमन सम्भव हो सके।

(ग) इस खेलकूद प्रतियोगिता हेतु दवाईयों पर निम्नविवरणानुसार व्यय किया गया है

दवाईयों का विवरण

(i)	क्लीनिक का नाम		जगोता क्लीनिक			
(ii)	डाक्टर का नाम		डा0 आर0के0 जगोता (डी0ई0एम0एस0)			
(iii)	दिनांक		2.7.10			

(iv)	छात्र का नाम	बिल सं0 व दिनांक	मैडिकल स्टोर का विवरण	दवाईयो पर व्यय	एक्स–रे पर रैडक्रास सोसाईटी को किया गया भुगतान	रोगी कल्याण समिति में व्यय	कुल योग
(क)	इकबाल सिंह	4891 / 8.7.10	शिव शंकर मैडीकल स्टोर ऊना	1879	50	5	1934
(ख)	राम कुमार	4892 / 8.7.10	शिव शंकर मैडीकल स्टोर ऊना	1867	100	10	1977
			योग	**3746**	**150**	**15**	**3911**

उपरोक्त दवाईयों पर व्यय दर्शाई गई ₹3911/– की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त खेलकूद प्रतियोगिता दिनांक 25.6.2010 से 30.6.2010 के दौरान सम्पन्न हो गई, जबकि दवाईयों पर व्यय दिनांक 8.7.2010 को किया गया दर्शाया गया है अर्थात खेलकूद प्रतियोगिताओं की समाप्ति के उपरान्त दवाईयों पर व्यय किया गया दर्शाया है, जोकि अनुचित है। अतः खेलकूद प्रतियोगिताओं के उपरान्त दवाईयों पर व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0(टी0ई0)ए(3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अन्तर्गत बनाए गए छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के (नियम (3) (3) निधि के परिचालन एवं उपयोग) के अनुसार कार्यशाला/प्रयोगशाला/क्रीड़ास्थल में कार्य करने एवं खेलते समय घायल हुए छात्रों को संस्थान के चिकित्सक या स्थानीय सिविल अस्पताल के चिकित्सक द्वारा सत्यापित वाउचरों के आधार पर प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन उक्त दवाईयों का क्रय निजी क्लीनिक से किया गया दर्शाया गया है फलस्वरूप दवाईयों पर दर्शाया गया व्यय (1879+1867=₹3746) देय नहीं है। अतः उक्त राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरो को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया है। अतः उक्त वाउचरों को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित करवाने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 श्री राजिन्द्र कुमार, कार्य परिचर को दी गई अग्रिम राशि के समायोजन वाऊचरों में पाई गई अनियमितताओं बारे

माह 7/2013 में दिनांक 22.7.2013 को श्री रजिन्द्र कुमार कार्य परिचर को ₹10000/– अग्रिम के रूप में दी गई है। यह राशि आर0टी0डी0ए0 फरीदाबाद, श्री टी0एस0 गोखले के ऊना आगमन पर, जोकि शिक्षार्मन एक्ट 1961 के तहत केन्द्र एवं राज्य के संयुक्त निरीक्षण टीम में केन्द्र का प्रतिनिधित्व करने आए थे, के जलपान एवं उचित व्यवस्था हेतु दी गई थी। श्री राजिन्द्र कुमार कार्य परिचर नें अग्रिम ₹10000/– के विरूद्ध ₹13500/– के समायोजन वाऊचर प्रस्तुत किए गए, जिनकी जाँच करने पर पाया गया कि श्री टी0एस0 गोखले द्वारा दिनांक 22.7.2013 से 26.7.2013 के दौरान टैक्सी द्वारा ऊना में स्थित औद्योगकि क्षेत्रों मैहतपुर, टाहलीवाल, बाथड़ी, गोन्दपुर, पन्डोगा, गगरेट, दियोली, मुबारकपुर, अम्ब व धमान्दरी का भ्रमण किया गया, जिस हेतु ऊना प्रीपेड टैक्सी यूनियन से गाड़ी संख्या एच0पी0–01–3756 को किराये पर लेने हेतु उनकी रसीद संख्या 1035 दिनांक 26.7.2013 के अन्तर्गत ₹13500/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जिसके कारण अग्रिम ₹10000/– के समायोजन के उपरान्त श्री राजिन्द्र कुमार को दिनांक 4.10.2013 को ₹3500/– का भी भुगतान किया गया दर्शाया गया है। उपरोक्त समायोजन वाऊचर के साथ संलग्न रसीद के अनुसार गाड़ी की यात्रा आरम्भ करने के समय गाड़ी की आरम्भिक मीटर रीडिंग 15488 कि0मी0 व यात्रा समाप्ति के समय मीटर रीडिंग 16270 कि0 मीटर थी। फलस्वरूप दिनांक 22.7.2013 से 26.7.2013 के दौरान कुल 782 कि0मी0 की यात्रा की गई, जिस हेतु ₹13500/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जबकि अवर सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ (5) 3/2003 दिनांक 26.8.2011 के अनुसार इस यात्रा हेतु ₹8.74 प्रति किलोमीटर की दर से (782X8.74=₹6835) का ही भुगतान किया जा सकता था। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रति कि0मी0 की दर से देय भुगतान अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अधिक एवं गलत भुगतान की गई (₹13500–₹6835=₹6665) की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14 श्री विनोद धीमान समूह अनुदेशक को दी गई अग्रिम ₹7000/– की ब्याज सहित वसूली करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री विनोद धीमान समूह अनुदेशक को चैक संख्या 30523 दिनांक 1.12.2014 के अन्तर्गत ₹7000 बतौर अग्रिम के रूप में दी गई थी, जोकि

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अभी तक असमायोजित थी। इसके अतिरिक्त उक्त अग्रित राशि किस प्रयोजन हेतु दी गई है, इसकी सूचना भी अंकेक्षण को प्रदान नहीं की गई। अतः बिना किसी प्रयोजन से अग्रिम ₹7000 प्रदान करने व 8 माह के उपरान्त भी इससें सम्बन्धित समायोजन वाऊचर प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब उक्त समायोजन वाउचर सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त करने सुनिश्चित किए जाएं। समायोजन वाउचर प्रस्तुत न करने की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना व अग्रिम राशियों के समायोजन वाउचर प्रस्तुत न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में कार्यरत्त विभिन्न कर्मचारियो ंको विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई है, लेकिन संस्थान द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशियों के समायोजन वाउचर आवश्यक जाँच पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए है और न ही संस्थान द्वारा अग्रिम रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसके कारण प्रदान की गई अग्रिम राशियों व अग्रिम राशियों से किए गए व्यय तथा इन तथ्यों की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी कि वास्तव में अग्रिम राशियों के विरूद्ध कितना व्यय हुआ, कितनी राशि शेष बची है अथवा कितनी राशि का भुगतान करना शेष है। अतः समायोजन वाऊचर प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अग्रिम रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त प्रदान की अग्रिम राशियों के समायोजन वाऊचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रदान की गई अग्रिम राशियों एवं अग्रिम राशियों से किए गए व्यय की सत्यापना सम्भव हो सके। संस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण को अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान प्रदान की गई निम्नलिखित अग्रिम राशियों की समायोजित की गई दर्शाई गई है, लेकिन इन अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए है।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	चैक सं0 व दि0	प्रदान की गई राशि	टिप्पणी
1	श्री नीरज कुमार, (प्रशिक्षक)	27557, 20.10.10	11000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
2	श्री यशपाल भारद्वाज (अनुदेशक)	784663, 29.3.15	12000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
3	श्री यशपाल रायजादा (अनुदेशक)	784665 व 2.4.11	25000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।

4	श्री सन्तोष कुमारी (अनुदेशक)	784666 व 2.4.11	35000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
5	श्री रविन्द्र (अधीक्षक)	784447, 2.4.11	25000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
6	श्री यशपाल भारद्वाज (अनुदेशक)	784670, 9.4.11	25000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
7	श्री श्याम सुन्दर (लिपिक)	784671, 20.4.11	10000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
8	श्री यशपाल भारद्वाज (अनुदेशक)	784673, 25.4.11	40000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
9	श्री यशपाल (ट्रेनर डी/एम)	965663, 12.4.12	35000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
10	श्रीमती सीमा पुरी (ट्रेनर)	965666, 14.5.12	40000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
11	श्री नीरज कुमार (ट्रेनर)	965690, 18.4.13	35000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
12	खेल प्रभारी (कन्या)	028018, 11.6.10	50000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
13	खेल प्रभारी (लड़के)	028019, 24.6.10	50000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
14	श्री नीरज कुमार (ट्रेनर)	784680, 28.5.11	4000	अग्रिम राशि समायोजित हो गई है।
15	श्रीमती बिमला देवी (अधीक्षक)	965683, 20.2.13	200000	अग्रिम राशि वापिस जमा करवा दी गई है।
16	श्री यशपाल (ट्रेनर डी/एम)	965688, 2.4.13	45000	अग्रिम राशि का समायोजन हो गया है।
17	श्री तारा चन्द (ट्रेनर पलम्बर)	727040, 5.1.15	2500	अग्रिम राशि का समायोजन हो गया है।

16 वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 23.4.2010 को औद्योगकि प्रशिक्षण संस्थान ऊना में छात्रों को प्रवेश दिया गया था परन्तु इन छात्रों को अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजा गया था तथा इन छात्रों से प्राप्त फीस की राशि जोकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना द्वारा प्राप्त की गई है और बाद में सम्बन्धित संस्थानों की मांग पर उन्हें निम्नविवरणानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी गई है, परन्तु सम्बन्धित संस्थानों से राशि की प्राप्ति की वास्तविक रसीदें अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाँछित रसीदें सम्बन्धित संस्थानों से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

क्र0सं0	माह	संस्थान का नाम	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	राशि
1	4/10	आई0टी0आई0 शमशी	0172212	23.4.10	3000
2	4/10	आई0टी0आई0 शिमला	0172216	23.4.10	1000
3	4/10	आई0टी0आई0 सोलन	0172213	23.4.10	500
4	4/10	आई0टी0आई0 नाहन	233609	23.4.10	3500
5	4/10	आई0टी0आई0 चम्बा	0172215	23.4.10	1500
6	4/10	आई0टी0आई0 शाहपुर	0172211	23.4.10	3000
7	4/10	आई0टी0आई0 बड़ोह	0172217	23.4.10	500
8	4/10	आई0टी0आई0 डाडासीबा	0172209	23.4.10	2500
9	4/10	आई0टी0आई0 नैहरनपुखर	233607	23.4.10	3500
10	4/10	आई0टी0आई0 पांवटा साहिब	233608		5500
11	4/10	आई0टी0आई0 नालागढ़	172214		1000
12	4/10	आई0टी0आई0 हिम गौरव सन्तोषगढ़	172207		500
13	4/10	आई0टी0आई0 जे0पी0 समीरपुर	172206		500
14	4/10	आई0टी0आई0 न्यू एंजल पेखूवाला	106337		1500
15	4/10	आई0टी0आई0 लम्बलू	172205		1000
16	4/10	आई0टी0आई0 शिक्षा भारती कोटला खुर्द	106336		1500
17	4/10	आई0टी0आई0 भोगल मैमोरियल भलौण	172208		1500
				कुल योग	**₹32 000**

17 छात्र कल्याण निधि से ₹442400 का आई0एम0सी0 निधि को गलत हस्तांतरण बारे

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (आई0टी0) एच जी (1) एस/एफ/ऊना 2011–12512 दिनांक 29.3.2011 द्वारा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना को ₹302000/– की स्वीकृति भवन निधि से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन में ग्लेज्ड टाईल्स लगवाने हेतु प्रदान की गई है, जबकि प्रधानाचार्य द्वारा उक्त राशि को व्यय न करके आई0 एम0सी0 निधि को हस्तांतरित किया गया है जोकि स्वीकृति के नियमों के विपरीत हैं। इसी प्रकार निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या आई0टी0वी0 (आई0टी0) एच0जी0–ऊना/1/8–99–11684 दिनांक 22.4.2010 द्वारा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना को ₹140400/– की स्वीकृति भवन निधि से कम्पयूटर लैब में ग्लेज्ड टाईल्स लगवाने हेतु प्रदान की गई, जबकि प्रधानाचार्य द्वारा उक्त राशि को व्यय न करके आई0एम0सी0 निधि को हस्तांतरित किया गया है, जोकि स्वीकृति के नियमों के विपरीत है, क्योंकि उक्त दोनों स्वीकृतियां निर्धारित उद्देश्य पर व्यय करने हेतु दी गई थी, न कि राशि को आई0एम0सी0 निधि में हस्तंतरित करने हेतु प्रदान की गई है। उक्त गलत तरीके से हस्तांतरित की गई राशि के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ प्रस्तुत पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(i) स्वीकृति के विरूद्ध उक्त ₹302000/— तथा ₹140400/— को आई0एम0सी0 निधि में हस्तांतरित करने का औचित्य नियमों से स्पष्ट किया जाए।

(ii) उक्त राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण बिल/वाउचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए है व न ही वाउचर नस्ति में मौजूद थे। अतः सम्पूर्ण बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाएं ताकि वास्तविक व्यय की सत्यापना सम्भव हो सके।

(iii) स्वीकृति प्राप्ति हेतु अनुलग्नक अनुमानित प्राकलन वर्क अनुदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया है, जोकि उक्त अनुमानित प्राकलन को अनुमोदित करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। अतः उक्त अनुमोदित प्राकलन सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जाए।

(iv) छात्र कल्याण निधि की कमेटी का प्रस्ताव नोटिंग शीट पर डाला गया है, जबकि वास्तविक प्रस्ताव रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे डाले गए प्रस्ताव की वास्तविकता की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः मूल प्रस्ताव रजिस्टर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की छात्र कल्याण निधि से आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़ व चिन्तपूर्णी को ₹410595/— हस्तांतरित करने बारे

दिनाँक 16.9.2010 को अैद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना की छात्र कल्याण निधि से आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़ व आई0टी0आई0 चिन्तपूर्णी को निम्नविवरणानुसार राशियाँ हस्तांतरित की गई/जमा करवाई गई दर्शाई गई है।

(i) आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़

निधि का नाम	खाता संख्या	राशि
छात्र कल्याण निधि	4046	116955
प्रतिभूति निधि	4084	17500
भवन निधि	4077	36250
प्रशिक्षण एवं स्थानापन निधि	4107	7350
	योग	**178055**
(ii) आई0टी0आई0 चिन्तपूर्णी		
छात्र कल्याण निधि	4046	140840
प्रतिभूति निधि	4058	30500
भवन निधि	4060	51000
प्रशिक्षण एवं स्थानापन निधि	4039	10200
	योग	**232540**
	कुल योग (178055+232540)	**₹410595**

उपरोक्त उल्लेखित आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़ व आई0टी0आई0 चिन्तपूर्णी को क्रमशः ₹178055/– व ₹232540/– जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की गई, उसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त आई0टी0आई0 के खातों में उपरोक्त राशि जमा होने की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि न तो सम्बन्धित आई0टी0आई0 की सम्बन्धित निधियों की रोकड़ बहियों व न ही सम्बन्धित बचत खाते अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। अतः सम्बन्धित आई0टी0आई0 के उक्त खातों में उपरोक्त राशि जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित आई0टी0आई0 के खातों में जमा होने की पुष्टि के प्रमाणिक साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

19 आवेदन पत्रों व अनापति प्रमाण पत्रों के बगैर संस्थान प्रतिभूति व छात्रावास प्रतिभूति की ₹118000 का भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में प्रतिभूति निधि से निम्नविवरणानुसार प्रशिक्षुओं को संस्थान प्रतिभूति की ₹500 प्रतिछात्र व होस्टल प्रतिभूति की ₹600 प्रति छात्र की दर से कुल ₹118000 वापिस लौटाई गई दर्शाई है।

क्र0सं0	माह /दिनांक	छात्रों की सं0	प्रति छात्र भुगतान की गई राशि	कुल भुगतान की गई राशि
1	24.9.10	1	500	1x500=500
2	29.9.10	2	500	2x500=1000
3	3.10.11	35	500	35x500=17500
4	2.1.13	4	500	4x500=2000
5	5.8.13	124	500	124x500=62000
6	5.8.13	5	600	5x600=3000
7	22.8.13	64	500	64x500=32000
			कुल योग	**₹118000**

उपरोक्त उल्लेखित वापिस लौटाई गई राशि/भुगतान से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र एवं संस्थान के अनदेशकों/प्रशिक्षकों से अपेक्षित प्रशिक्षुओं के पक्ष में जारी न देय/अनापति प्रमाण पत्र अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके अभाव में भुगतान दर्शाई गई संस्थान प्रतिभूति व छात्रावास प्रतिभूति की राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित आवेदन पत्र व अनापति प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किए जाएं ताकि भुगतान दर्शाई गई संस्थान व छात्रावास प्रतिभूति को नियमानुसार उचित ठहराया जा सके तथा भविष्य में भी संस्थान व छात्रावास प्रतिभूति

राशि का भुगतान नियमानुसार उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 प्रवेश साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों को एवं सरक्षंकों के जलपान पर ₹38532/– का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से प्रवेश साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित विवरणानसार संरक्षकों व अभ्यर्थियों के जलपान पर ₹38532/– का व्यय किया गया दर्शाया है।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	फर्म का विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 14.7.10 व 15.7.10	चाय कप	70	3.50	245
			ब्रैड पकौडा	50	3.50	175
			ठण्डा	30	12	360
			बिस्कुट	2 पैकेट	20	40
					योग	**820**
2	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 16.7.10	चाय कप	75	3.50	263
			ब्रैड पकौडा	55	3.5	193
			बिस्कुट	2 पैकेट	15	30
			मिल्क बादाम	20 नं0	20	400
					योग	**886**
3	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 17.7.10	चाय	40 कप	3.50	140
			मिल्क बादाम	25 नं0	20	500
			समोसा/ब्रैड	30	3.50	105
					योग	**745**
4	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 20.7.10	चाय कप	48	3.50	168
			ब्रैड पकौडा	30	3.50	105
			ठण्डा	28 नं0	–	336
					योग	**609**
5	28.8.10	लबली स्वीटस शॉप ऊना दिनांक 20.7.10	पकौडा	2कि0ग्रा0	160	320
			ठण्डा	1 नं0	60	60
					योग	**380**
6	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 16.8.10	चाय कप	38	3.50	133
			ब्रैड पकौडा	26	3.50	91
			कोल्ड ड्रिंक्स	18	12	216
			मध्यान भोजन (लंच)	8	30	240
					योग	**680**

7	28.8.10	लबली स्वीटस शॉप ऊना दिनांक 16.8.10	पनीर पकौडा	1.250 कि0ग्रा0	160	200
8	28.8.10	राजू कैन्टीन ऊना दिनांक 25.8.10	चाय कप	56	3.50	196
			ब्रैड पकौडा	40	3.50	140
			कोल्ड ड्रिंक्स	22	12	264
					योग	**600**
9	28.8.10	लबली स्वीटस हाऊस नंगल रोड ऊना दिनांक 25.8.10	पीनर पकौडा	2 कि0ग्रा0	160	320
10	31.8.10	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	36 कप	3.50	126
			ब्रैड पकौडा	24	3.50	84
			मिल्क बादाम	20	20	400
					योग	**610**
11	4.4.11	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	110	4	440
			क्रीम बिस्कुट	12	20	240
					योग	**680**
12	4.4.11	कोल्क कॉर्नर बस स्टैण्ड ऊना	बादाम	200 ग्रा0	–	230
			काजू	200 ग्रा0	–	300
			किशमिश	200 ग्रा0	–	60
			जूस	2 बॉक्स	75	150
			मिनरल वॉटर	2 बोतल	–	30
					योग	**770**
13	9.4.11	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	90	4	360
			क्रीम बिस्कुट	10	20	200
					योग	**560**
14	9.4.11	कोल्ड कार्नर बस स्टैण्ड के नजदीक, ऊना	जूस	–	–	150
			बादाम	–	–	90
			काजू	–	–	240
			मिनरल पानी	–	–	30
					योग	**510**
15	12.4.11	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	88	4	352
			बिस्कुट	10	20	200
					योग	**552**
16	12.4.11	कोल्ड कार्नर बस स्टैण्ड के नजदीक, ऊना	बिस्लेरी बोतल (पानी)	2	15	30
			काजू	1 पै0	150	150
			बादाम	1 पै0	115	115
			किशमिश	1 पै0	65	65
			जूस	2 नं0	75	150
			सौंफ	2 पै0	15	30
					योग	**540**
17	12.4.11	मैसर्ज सैणी मिल्क डेयरी	कोल्ड ड्रिंक्स	10 बोतल	60	600

		नंगल रोड, ऊना				
			पनीर पकौडा	3½ कि0ग्रा0	160	560
			पालक पकोडा	12 कि0ग्रा0	00	1200
			चना मूंगी	2 कि0ग्रा0	210	420
			बर्फी पिस्ता	2 कि0ग्रा0	200	400
					योग	**3180**
18	11.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	5 बोतल	60	300
			पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	180	360
			चाय	45 कप	5	225
			समोसा	20 नं0	5	100
					योग	**985**
19	12.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	मिल्क बादाम	20 नं0	20	400
			पकौडा	2 कि0ग्रा0	120	240
			चाय	40 कप	5	200
			बिस्कुट	5 पै0	30	150
					योग	**990**
20	13.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	5 बोतल	60	300
			पकौडा	40 नं0	5	200
			चाय	40 कप	5	200
			बिस्कुट	4 पै0	20	80
					योग	**780**
21	14.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	50 कप	5	250
			नमकीन	4 पै0	60	240
			बिस्कुट	5	30	150
			कोल्ड ड्रिंक्स	4 नं0	60	240
			ब्रैड पकौडा	20	5	100
					योग	**980**
22	15.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	पकौडा	2 कि0ग्रा0	120	240
			चाय	40 कप	5	200
			नमकीन	5 पै0	60	300
			चाय	16 कप	5	80
					योग	**820**
23	16.7.11	राजू कैन्टीन ऊना	पनीर पकौडा	1 कि0ग्रा0	180	180
			चाय	45 कप	5	225
			ब्रैड पकौडा	40	5	200
			कोल्ड ड्रिंक्स	4	60	240
					योग	**845**
24	9.8.11	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	5	60	300
			समोसा	40	5	200
			पकौडा	2 कि0ग्रा0	120	240
			चाय	50 कप	5	250
			बिस्कुट	1 पै	25	25

					योग	**990**
25	19.8.11	राजू कैन्टीन ऊना	पनीर पकौडा	1½ कि0ग्रा0	180	270
			ब्रैड	30 नं0	5	150
			कोल्ड ड्रिंक्स	4 बोतन	60	240
			चाय	40 कप	5	200
			बिस्कुट	4 पैकेट	30	120
					योग	**980**
26	24.8.11	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	70 कप	5	350
			ब्रैड पकौडा	30	5	150
			बिस्कुट	5 पै0	20	100
					योग	**600**
27	10.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	35 कप	5	175
			समोसा	15	5	75
			ब्रैड पकौडा	15	5	75
			कोल्ड ड्रिंक्स	5 नं0	65	325
			वैज पकोडा	2 कि0ग्प्र0	100	200
			मिल्क बादाम	6 नं0	20	120
					योग	**970**
28	11.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	30 कप	5	150
			कोल्ड ड्रिंक्स	3	65	195
			ब्रैड पकौडा	15	5	75
			पनीर पकौडा	½ कि0ग्रा0	180	90
			मिल्क बादाम	2 नं0	20	40
					योग	**550**
29	12.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	40 कप	5	200
			ब्रैड पकौडा	20	5	100
			मिल्क बादाम	9	20	180
			पनीर पकौडा	1 कि0.ग्रा0	180	180
			कोल्ड ड्रिंक्स	5	65	325
					योग	**985**
30	13.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	3	65	195
			ब्रैड पकौडा	20	5	100
			मिल्क बादाम	5	20	100
			चाय कप	30	5	150
			पनीर पकौडा	½ कि0ग्रा0	180	90
					योग	**635**
31	16.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	35 कप	5	175
			समोसा	15	5	75
			ब्रैड पकौडा	15	5	75
			कोल्ड ड्रिंक्स	5	65	325

			मिल्क बादाम	2कि0ग्रा0	100	200
				6	20	120
					योग	**970**
32	17.7.12	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	3	65	195
			ब्रैड पकौडा	30	5	150
			समोसा	40	5	200
			चाय कप	40	5	200
			मिल्क बादाम	10	20	200
					योग	**945**
33	8.8.12	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	40	5	200
			पनीर पकौडा	1 कि0ग्रा0	180	180
			कोल्ड ड्रिंक्स	5	65	325
			समोसा	35	5	175
			मिल्क बादाम	5 बोतल	20	100
					योग	**980**
34	16.8.12	राजू कैन्टीन ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	30	10	300
			ब्रैड पकौडा	35	5	175
			चाय	35	5	175
			वैज पकोडा	2	100	200
			बिस्कुट	20	5	100
			समोसा	2	5	10
					योग	**960**
35	9.7.13	स्टैण्र्ड स्वीटस शॉप सन्तोषगढ़ रोड ऊना	पनीर पकौडा	1½ कि0ग्रा0	220	330
			पकौडा	1½ कि0ग्रा0	120	180
					योग	**510**
36	9.7.13	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	30	5	150
37	19.7.13	हिम कार्नर नंगल रोड ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	3	70	210
			बिस्कुट	3	20	60
					योग	**270**
38	10.7.13	राजू कैन्टीन ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	200	400
			पकौडा	½ कि0ग्रा0	—	50
			कोल्ड ड्रिंक्स	3	70	210
					योग	**660**
39	11.7.13	मैसर्ज स्टैण्डर्स स्वीटस शॉप सन्तोषगढ़ रोड ऊना	पनीर पकौडा	1 कि0ग्रा0	220	220
			मिक्स पकौडा	½ कि0ग्रा0	120	180
					योग	**400**
40	11.7.13	मैसर्ज हिम कार्नर ऊना	कोल्ड ड्रिंक्स	2 ली0	70	140
			मिल्क बोतल	1	25	25

			बिस्कुट	3 नं0	20	60
					योग	**225**
41	11.7.13	राजू कैन्टीन ऊना	चाय कप	50	5	250
42	18.7.13	न्यू लवली स्वीटस हाउस नंगल रोड ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	220	440
			मिक्स पकौडा	1½ कि0ग्रा0	120	180
			कोल्ड ड्रिंक्स	3 नं0	70	210
					योग	**830**
43	18.7.13	राजू कैन्टीन ऊना	चाय	20 कप	5	100
44	19.7.13	मै0 न्यू लवली स्वीटस हाउस ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	220	440
			मिक्स पकौडा	1½ कि0ग्रा0	120	180
			कोल्ड ड्रिंक्स	3 नं0	70	210
					योग	**830**
45	19.7.13	मै0 राजू कैनटीन ऊना	चाय कप	15	5	75
46	16.8.13	शर्मा कैन्टीन आई0टी0आई0 ऊना	चाय कप	35	5	175
			पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	220	440
			कोल्ड ड्रिंक्स	3 नं0	70	210
			बिस्कुट	3 नं0	30	90
					योग	**915**
47	30.10.13	मै0 कोल्ड कार्नर ऊना	पनीर पकौडा	1 कि0ग्रा0	260	260
			पकौडा	1 कि0ग्रा0	120	120
			कोल्ड ड्रिंक्स	2 बोतल	70	140
					योग	**520**
48	30.10.13	शर्मा कैन्टीन आई0टी0आई0 ऊना	चाय कप	20	5	100
			समोसा	20	5	100
			कोल्ड ड्रिंक्स	2	65	130
			बिस्कुट	4	30	120
					योग	**450**
49	8.7.14	लवली स्वीटस शॉप ऊना	पनीर पकौडा	1½ कि0ग्रा0	240	360
			पकौडा	1½ कि0ग्रा0	140	210
			कोल्ड ड्रिंक्स	3	75	225
					योग	**795**
50	8.7.14	शर्मा कैन्टीन आई0टी0आई0 ऊना	चाय	38	5	190
51	9.7.14	लवली स्वीटस हाउस ऊना	पनीर पकौडा	1 कि0ग्रा0	240	240
			कोल्ड ड्रिंक्स	3	75	225

			पकौडा	1 कि0ग्रा0	140	140
					योग	**605**
52	9.7.14	शर्मा कैन्टीन आई0टी0आई0 ऊना	चाय	39 कप	5	195
53	10.7.14	स्टैण्डर्स स्वीटस शॉप सन्तोषगढ़ रोड ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	240	480
			कोल्ड ड्रिंक्स	4 बोतल	75	300
			पकौडा	1½ कि0ग्रा0	140	210
					योग	**990**
54	14.8.14	लवली स्वीटस हाउस ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	240	480
			कोल्ड ड्रिंक्स	4 बोतल	75	300
			पकौडे	1½ कि0ग्रा0	140	210
					योग	**990**
55	30.10.14	स्टैण्डर्स स्वीटस शॉप सन्तोषगढ़ रोड ऊना	पनीर पकौडे	2 कि0ग्रा0	240	360
			कोल्ड ड्रिंक्स	4 बोतल	75	375
			बैज पकौडे	2 कि0ग्रा0	120	240
					योग	**975**
			क्रम संख्या 1 से 55 का कुल योग			**₹38532**

हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अन्तर्गत बनाए गए छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के (नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग/व्यय) के अनुरूप छात्र कल्याण निधि से अभ्यर्थियों व सरक्षंकों को प्रवेश साक्षात्कार के दौरान जलपान पर व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है, फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण करवाया जाए।

21 छात्र कल्याण निधि से प्रशिक्षकों को मानदेय की ₹81290/– का भुगतान करने बारे

माह 9/2010 में दिनांक 10.9.2010 को छात्र कल्याण निधि से विभिन्न प्रशिक्षकों को माह 8/2010 के वेतन के रूप में ₹81290/– का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	प्रशिक्षक का	ट्रेड/व्यवसाय	थ्योरी	प्रयोगिक	दर	राशि	भुगतान की

सं0	नाम	व नियुक्ति का स्थान	पीरियड	पीरियड			गई राशि
1	श्री दिनेश	कोपा	38	–	180	6840	13900
	कुमार (ट्रेनर)	आई0टी0आई0	–	85	90	7650	
		ऊना				14990	
2	श्री तारा चन्द	पलम्बर	19	–	180	3420	11790
	(ट्रेनर)	आई0टी0आई0	–	93	90	8370	
		ऊना				11790	
3	श्रीमती ममता	कोपा	38	–	180	6840	13900
	रानी (ट्रेनर)	आई0टी0आई0	–	85	90	7650	
		ऊना				14990	
4	श्री जितेन्द्र	ईलैक्ट्रीशियन	29	–	180	5220	13900
	शुक्ला (ट्रेनर)	आई0टी0आई0	–	111	90	9990	
		ऊना				15210	
5	श्री यशपाल	डीजल	34	–	180	6120	13900
	(ट्रेनर)	मैकेनिक कोपा	–	96	90	8640	
		आई0टी0आई0				14760	
		ऊना					
6	श्री अरविन्द	कोपा	38	–	180	6840	13900
	कुमार (ट्रेनर)	आई0टी0आई0	–	85	90	7650	
		सन्तोषगढ़					
					योग	**14490**	**81290**

उपरोक्त भुगतानों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त प्रशिक्षकों की नियुक्तियाँ कब–2 किन आदेशों के अन्तर्गत, किन नियमों एवं शर्तों के आधार पर छात्र कल्याण निधि से प्रदान की गई है, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त कर्मचारियों/प्रशिक्षकों के नियुक्ति पत्र व नियुक्ति करने हेतु सक्षम अधिकारी के स्वीकृति पत्र सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि छात्र कल्याण निधि से की गई प्रशिक्षकों की नियुक्तियों की वैधता एवं वैधानिकता की जाँच सम्भव हो सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या–ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अन्तर्गत बनाए गए छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के (नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग/व्यय) के अनुरूप छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों की नियुक्ति करने व मानदेय का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नियमों के विरूद्ध मानदेय के रूप में किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

(ख) मानदेय/वेतन निकासी हेतु अनुलग्न मस्टररोल व उक्त प्रशिक्षकों द्वारा माह 8/2010 के दौरान पढ़ाए गए विषयों अर्थात थ्योरी व प्रैक्टिकल पीरियड की सूची की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त प्रशिक्षकों को ₹180/– प्रति थ्योरी पीरियड तथा ₹90 प्रति प्रैक्टिकल की दर एक माह से अधिकतम ₹13900/– के आधार पर भुगतान किया जा सकता था। अधिकतम सीमा की ₹13900/– का लाभ सभी प्रशिक्षकों को देने के प्रयोजन से उक्त प्रशिक्षकों द्वारा माह 8/2010 में औसतन 26 कार्य दिवसों में प्रति प्रशिक्षक अपने विषय के 85 से 111 संख्या तक प्रैक्टिकल करवाए गए दर्शाए है, जोकि व्यवहारिक तौर पर सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि 26 कार्यदिवसों में प्रत्येक प्रशिक्षक द्वारा प्रत्येक दिन औसतन 3 से चार प्रैक्टिकल एक दिन में छात्रों को करवाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि व्यवहारिक तौर पर एक विषय के एक या दो प्रैक्टिकल करवाए जा सकते है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन की अधिकतम सीमा ₹13900/– प्रतिमाह का लाभ देने के प्रयोजन से प्रैक्टिकलों की संख्या में अनुचित वृद्धि दर्शाई गई है जिसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः प्रशिक्षकों को किए जा रहे भुगतान को नियमानुसार ठोस साक्ष्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए।

(ग) उपरोक्त उल्लेखित 6 कर्मचारियों को भुगतान चैक संख्या 27549 दिनांक 10.9.2010 के अन्तर्गत किया गया है, जबकि उक्त चैक स्वयं हेतु काटे गए है व तदोपरान्त स्वयं ही निकासी करके उक्त कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, जोकि वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है, क्योंकि स्वयं हेतु चैक काटकर निकासी के उपरान्त भुगतान करना तर्कसंगत नहीं है, जिसका औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जानी सुनिश्चित करने के साथ सभी भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम चैक काटकर बैंक के माध्यम से ही भुगतान किए जाने सुनिश्चित किए जाए ताकि वित्तीय एवं नियमों की अनुपालना हो सके।

(घ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच0सी0 (1)/2010–20676–755 दिनांक 31.5.2011 के अनुसार, निर्धारित अवधि/घण्टे के आधार पर रखे गए ट्रेनर/अनुदेशकों के मानदेय व्यय, जोकि छात्र कल्याण निधि से किया गया है, की एस0ओ0एस0 99 मानदेय से भरपाई की जानी अपेक्षित थी। अतः उपरोक्त उल्लेखित प्रशिक्षकों को मानदेय/वेतन के रूप में अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान भुगतान की गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष के शीर्ष एस0ओ0एस0 99 मानदेय से की जाए तथा

राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 छात्र कल्याण निधि से ₹15088/–का अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 9/2010 में छात्र कल्याण निधि से संस्थान के कर्मचारियों को माह 8/2010 के मानदेय (वेतन) के रूप में निम्नलिखित भुगतान किया गया।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	नियुक्ति का स्थान	भुगतान राशि	भुगतान की तिथि
1	श्रीमती निधि (लिपिक)	आई0टी0आई0 चिन्तपूर्णी	4680	6.9.10
2	श्री श्याम सुन्दर (लिपिक)	आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़	4680	6.9.10
3	श्री अच्छर सिंह (सेवादार)	आई0टी0आई0 सन्तोषगढ़	3930	6.9.10
4	श्री सोमनाथ (अंशकालीन सफाईकर्ता)	आई0टी0आई0 ऊना	1798	6.9.10
		योग	**₹15088**	

उपरोक्त भुगतानों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तिँ पाई गई है, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों की नियुक्तियाँ कब–कब किन आदेशों के अन्तर्गत तथा किन–2 नियमों एवं शर्तों के आधार पर छात्र कल्याण निधि से की गई, इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके अभाव में की गई नियुक्तियों को तर्कसंगत एवं वैध नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित नियुक्ति पत्र एवं नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पत्र सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए ताकि की गई नियुक्तियों की वैधता एवं वैधानिकता की जाँच सम्भव हो सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या–ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7. 2010 के अन्तर्गत बनाए गए छात्र कल्याण निधि नियम 2009 के (नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग/व्यय) के अनुरूप छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा मानदेय का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उपरोक्त की गई नियुक्तियों व मानदेय के रूप में किए गए भुगतान को नियमों के अन्तर्गत न्यायोचित ठहराया जाए।

(ख) उक्त सभी कर्मचारियों के अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत होने के बावजूद भी इनका भुगतान छात्र कल्याण निधि आई0टी0आई0 ऊना से करने का नियमों सहित

औचित्य स्पष्ट किया जाए, क्योंकि उक्त भुगतान छात्र कल्याण निधि आई0टी0आई0 ऊना पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि आई0टी0आई0 ऊना के खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अगत करवाया जाए।

(ग) उपरोक्त उल्लेखित सभी कर्मचारियों को भुगतान चैक संख्या 27548 दिनांक 6.9.2010 के अन्तर्गत किया गया है, जबकि उक्त चैक स्वयं हेतु काटा गया व तदोपरान्त राशि को बैंक में निकासी करके उक्त कर्मचारियों को भुगतान किया गया, जोकि वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है, क्योंकि स्वयं हेतु चैक काटकर निकासी करने के उपरान्त भुगतान करना तर्कसंगत नहीं है, जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमित प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जानी सुनिश्चित करने के साथ–2 इस तरह के सभी भुगतान सम्बन्धित प्राप्तकर्ता के नाम चैक काटकर चैक के माध्यम ये किए जाने सुनिश्चित किए जाऐं ताकि वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता की अनुपालना सम्भव हो सके।

(घ) उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित श्री सोमनाथ (अंशकालीन सफाई कर्मचारी को दिनांक 6.9.2010 को ₹1798/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है, जोकि छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त भुगतान की गई राशि की राजकीय कोष से प्रतिपूर्ति करने हेतु यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को दिए गए मानदेय/वेतन की गणना भी संस्था स्तर पर करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से की जानी सुनिश्चित की जाए।

23 स्वयं हेतु चैक काटकर नकद भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में विभिन्न फर्मों, विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को चैक द्वारा भुगतान नहीं किया गया अपितु पहले स्वयं हेतु चैक जारी किए गए तथा बाद में स्वयं राशि आहरित करके सम्बन्धित फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को नकद में भुगतान किया गया है, जोकि वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना होने के साथ–2 पारदर्शिता नियमों के विरूद्ध है। उदाहरण के तौर पर दिनांक 24.1.2011 को चैक संख्या 27968 द्वारा ₹10000/– का स्वयं हेतु चैक काटा गया है व दिनांक 28.1.2011 को उसमें ₹4310 का भुगतान मैसर्ज कृष्णा हार्डवेयर ऊना को किया गया है व शेष ₹5690/– हस्तगत रखी गई है। तत्पश्चात दिनांक 28.1.2011 को भी चैक

संख्या 27969 द्वारा ₹7400/– का स्वयं हेतु चैक कटा गया तथा दिनांक 28.1.2011 को हस्तगत ₹13190/– दर्शाई गई है तथा इस हस्तगत राशि में से दिनांक 2.2.2011 को मजदूरों को मजदूरी के रूप में ₹5661/– का भुगतान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए संस्थान द्वारा पहले स्वयं हेतु चैक काटकर राशि को बैंक से आहरित कर लिया जाता है व तदोपरान्त सम्बन्धित फर्मों/व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है, जोकि एक वित्तीय अनियमितता है। अतः उचित वित्तीय प्रबन्धन व पारदर्शिता के नियमों की अनुपालना करने के उद्देश्य से अनुरोध किया जाता है कि उक्त वित्तीय अनियमितता को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए व सम्पूर्ण भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं/व्यक्तियों/फर्मों इत्यादि को चैक के माध्यम से किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि नकद भुगतान में होने वाली किसी भी वित्तीय अनियमितता को रोका जाना सम्भव हो सके।

24 बिजली के बिलों के रूप में ₹15885/– का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कलयाण निधि से निम्नविवरणानुसार बिजली के बिलों का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	राशि
1	22.9.10	बिजली बिल (छात्र होस्टल) बिल संख्या 00729456 दिनांक 25.9.10	4864
2	24.1.13	बिजली बिल (छात्र होस्टल) बिल संख्या 111223497646 दिनांक 23.1.13	11021
		योग	**₹15885**

हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अनुसार छात्र कल्याण निधि सें उपरोक्त उल्लेखित बिजली बिलों के भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है, फलस्वरूप उक्त व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि से जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 उदघाटन समारोह के दौरान श्री बिमला शर्मा अधीक्षक द्वारा व्यय की गई दर्शाई गई ₹47229/– के व्यय वाउचरों में पाई गई त्रुटियों बारे

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूवोवाल का उदघाटन समारोह दिनांक 16.2. 2014 को पूवोवाल में सम्पन्न हुआ। इस उदघाटन समारोह के दौरान किए गए व्ययों हेतु

श्रीमती बिमला शर्मा अधीक्षक को ₹47229/– का भुगतान चैक संख्या 727161 दिनांक 28.5.2014 द्वारा किया गया है। श्रीमती बिमला शर्मा, अधीक्षक द्वारा उदघाटन समारोह के दौरान किए गए व्ययों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0 सं0	बिल सं0 व दिनांक	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	046221/ 15.2.14	भुट्टिको, ऊना	जैन्टस लोई/शॉल	1	3800	3800
			कैप/टोपी	3	300	900
						4700
2	046223/ 15.2.14	भुट्टिको, ऊना	मर्दाना शॉल	2	1300	2600
			औरत शॉल	1	1500	1500
						4100
3	046222/ 15.2.14	भुट्टिको, ऊना	मर्दाना लोई/शॉल	2	1700	3400
			कैप/टोपी	3	300	900
						4300
4	277/14.2. 14	श्याम गैलरी नंगल	भगवान प्रतिमा	1	2300	2300
			भगवान प्रतिमा	1	1100	1100
						3400
5	40690/ 14.2.14	होटल सुविधा ऊना	दोहर का भोजन	–	–	897
6	336/ 15.2.14	बी0बी0एम0 स्पोर्टस, ऊना	सरस्वती प्रतिमा	1	1300	1300
7	शून्य/ 15.2.14	फर्म का नाम उल्लेखित नहीं	बिस्कुट व	1	25	25
			नमकीन	1	45	45
						70
8	40861/ 16.2.14	होटल सुविधा, ऊना	दोपहर का भोजन	–	–	3476
9	6704/ 16.2.14	कृष्णा पैराडाईस टाहलीवाल	लंच	4	–	1385
10	026/ 16.2.14	बंगा टैन्ट हाऊस पूवोवाल	टैन्ट	–	–	2800
			लेबर	–	–	800
			गाड़ी किराया	–	–	900
						4540
11	शून्य/ 16.2.14	मान स्वीटस शॉप पूवोवाल	चाय	260	–	–
			पकौडे	32 कि0ग्रा0	–	–
						5000

12	040 / 16.2.14	राज ग्रीन हाऊस, बढेड़ा	बुके	7	250	1750
			हार	100	10	1000
						2750
13	278 / 14.2.14	श्याम गैलरी नंगल	गॉड प्रतिमा	1	1600	1600
14	शून्य / 16.2.14	सैनी मिल्क डेयरी ऊना	लडडू	10 कि0ग्रा0	90	900
			बर्फी	2 कि0ग्रा0	250	500
						1400
15	6950 / 15.2.14	सुदेश पैकिंग इन्डस्ट्री, ऊना	डूना	500	.35	175
			गिलास	500	.70	350
					वैट	26
						551
16	शून्य	शर्मा वैष्णो कन्टीन आई0टी0आई0 ऊना दिनांक 10.2.14 से 19.2.14 तक दिनांक 16.2.14 व 17.2.14 शामिल नहीं	चाय	112	5	560
17	0308 / 12.2.14	गलैक्सी ऑफसैट प्रिन्टर, ऊना	निमन्त्रण पत्र	500	3.50	1750
18	073 / शून्य	कोल्ड कार्नर, ऊना	काजू	2 पै0	उल्लेखित नहीं	300
			बादाम	2 पै0	उल्लेखित नहीं	300
			किशमिश	1 पै0	उल्लेखित नहीं	75
			पिस्ता	2 पै0	उल्लेखित नहीं	390
			मिश्री	1 पै0	उल्लेखित नहीं	20
			बिस्कुट	मात्रा उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	142
			नमकीन	मात्रा उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	195
			जमस	मात्रा उल्लेखित नहीं	उल्लेखित नहीं	538
						1980

						(–) **30**
						1950
19	शून्य/ 16.2.14	मिड प्वांइट बार एंड रैस्टोरेन्ट ऊना	लंच/दोपहर का भोजन	8	150	1200
20	शून्य/ 16.2.14	कपिला ब्रदर्ज, ऊना	मिनरल वॉटर	4 पेटी	150	600
21	13.2.14	रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ सोसाईटी आई0आई0आई0 टी (IIIT) ऊना	चालान संख्या 67 द्वारा सरकारी खजाने में जमा	–	–	1000
22	13.2.14	रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ सोसाईटी आई0आई0आई0 टी (IIIT) ऊना	चालान संख्या 31 दिनांक 13. 2.14 को सरकारी खजाने में जमा	–	–	500
			क्रम संख्या 1 से 22 तक कुल योग			**₹47029**

उपरोक्त व्यय वाउचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई है, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त विवरणानुसार कुल ₹47029/– का भुगतान देय बनता था, जिसके विरूद्ध ₹47229/– का भुगतान किया गया दर्शाया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹200/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए स्थाई व अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति की स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी/खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है। सामान की प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियों के अभाव में क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई सामान के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः स्टॉक रजिस्टरों में सामान की प्राप्ति की स्टॉक प्रविष्टियाँ व जारी/खपत की प्रविष्टियाँ दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण स्थाई व अस्थाई सामान की सम्बन्धित रजिस्टरों में प्राप्ति एवं जारी करने की प्रविष्टियाँ करके इन्हें सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) क्रम संख्या 1, 2 व 3 पर उल्लेखित क्रय एक ही फर्म से एक ही दिन में तीनों अलग–2 बिलों के अन्तर्गत निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) क्रम संख्या 4 व 13 पर उल्लेखित सामान का क्रय भी एक ही फर्म से एक ही दिन में दो अलग–2 बिलों के अन्तर्गत बिना निविदाओं के हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर नंगल

(पंजाब) से किया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर से बिना निविदाओं के आधार पर क्रय करने के औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ङ) क्रम संख्या 5, 8 पर उल्लेखित दोपहर के भोजन हेतु दिनांक 10.2.2014 व 16.2.2014 को सुविधा होटल ऊना में खर्च की गई दर्शाई गई ₹897+₹3476=₹4373 क्रम संख्या 19 पर दिनांक 16.2.2014 को मिड प्वाईंट वार एंड रेस्टोरैन्ट ऊना में दोपहर के भोजन पर व्यय दर्शाई गई ₹1200/– तथा क्रम संख्या 16 पर शर्मा वैष्णो कैन्टीन आई0टी0आई0 ऊना को दिनांक 10.2.2014 से 19.2.2014 के दौरान 112 कप चाय के रूप में भुगतान की गई दर्शाई गई ₹560 अर्थात कुल ₹6133 उदघाटन समारोह हेतु उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत, अनियमित व अनावश्यक व्यय है, क्योंकि उदघाटन समारोह पूवोवाल में सम्पन्न हुआ जबकि यह व्यय ऊना में किया गया दर्शाया गया है। फलस्वरूप ऊना के होटलों/कैन्टीन दोहर के भोजन इत्यादि पर व्यय दर्शाई गई ₹6133/– की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) क्रम संख्या 11 पर 260 कप चाय तथा 32 कि0ग्रा0 पकौडे पर व्यय की गई ₹5000 का विवरण/अभिलेख में नहीं दिया गया है और न ही क्रय से पूर्व निविदाऐं ली गई है। अतः निविदाओं के बिना रसीद के आधार पर ₹5000/– का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित दुकानदार से निर्धारित प्रपत्र पर मात्रा एव दरों का उल्लेख करवाने के उपरान्त संशोधित बिल प्राप्त किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि कृत भुगतान की प्रमाणिकता/सत्यता की जांच सम्भव हो सके।

(छ) क्रम संख्या 14 पर उल्लेखित भुगतान के सर्मथन में उचित बिल सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए क्योंकि उक्त बिल सादे कागज पर बनाया गया है।

(ज) क्रम संख्या 21 व 22 पर चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा (1000+500=₹1500) जोकि आई0आई0आई0टी0 (IIIT) की सोसाईटी की रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करवाई गई है, का उदघाटन समारोह से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

26 बकाया वेतन बिल की ₹708545/– की प्रतिपूर्ति बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से माह 10/2011 में श्री यशपाल स्टोर परिचर को ₹236182, श्री नरेन्द्र कुमार परिचर को ₹236120 तथा श्री पंकज शर्मा, ड्रैसर को ₹236243 अर्थात कुल ₹708545 का बकाया वेतन के रूप में भुगतान किया गया है। उक्त

बकाया वेतन का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP (T) No.-14149 of 2008 दिनांक 21.9.10 को दिए गए निर्णय की अनुपालना में निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या STV (TE) H-B (2) fixed/26-10-11-37908-37935 के अन्तर्गत, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना को दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है। यद्यपि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उक्त कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान छात्र कलयाण निधि से करने के निर्देश दिए है तथापि उक्त कर्मचारियों की छात्र कलयाण निधि से नियुक्ति न होंने के कारण उक्त व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है, क्योंकि उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति आई0एम0सी0 निधि से की गई है तथा इनके पूर्व वर्षों के वेतन भी सरकारी खजाने से खाली पदों के विरूद्ध निकाले गए है। अतः बकाया वेतन का भुगतान की प्रतिपूर्ति भी आई0एम0सी0 निधि अथवा सरकारी खजाने से की जानी अपेक्षित है। अतः सम्पूर्ण ₹708545 की प्रतिपूर्ति आई0एम0सी0 निधि अथवा सरकारी खजाने से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई/अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

27 अनियमित क्रय करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 1/2013 में छात्र कल्याण निधि से निम्नलिखित विवरणानुसार किताबों का क्रय किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	बिल सं0 व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	किताब का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	0085/29.10.12	मै0 कर्ण प्रकाशन मण्डी	हिम दर्पण	2	900	1800
					छूट 10**%**	180
					योग	**1620**
2	0087/29.10.12	मै0 कर्ण प्रकाशन मण्डी	हिम दर्पण	1	900	900
					छूट 10**%**	90
					योग	**810**
		क्रम संख्या 1 व 2 का कुल योग (1620+810)				**₹2430**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) संस्थान द्वारा पत्र संख्या No-STV (IT)-Store puerchase-2012-26076 दिनांक 11.6. 2012 के अनुसार केवल दो हिम दर्पण के क्रय हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि तीन वाल्यूम का क्रय किया गया दर्शाया है। फलस्वरूप एक अतिरिक्त मात्रा का क्रय

किया गया दर्शाया है। अतः अतिरिक्त क्रय करने पर व्यय की राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाई गई किताबों की स्टॉक प्राप्ति की प्रविष्टियाँ सामान्य छात्र कल्याण निधि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है, जबकि उक्त किताबों की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर में की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त किताबों की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

28 रोकड़ बही ₹200/– का अधिक व्यय दर्ज करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 3.5.2012 को छात्र कल्याण निधि से ₹72625 का व्यय किया गया दर्शाया है लेकिन रोकड़ बही में दर्ज किए गए बिल/वाउचर का वास्तविक योग ₹72425/– बनता है। फलस्वरूप रोकड़ बही (72625–72425=₹200) का अधिक व्यय दर्ज किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	भुगतान का विवरण	राशि
1	श्री ताराचन्द (ट्रेनर पलम्बर)	14100
2	श्री दिनेश कुमार (ट्रेनर कोपा)	14100
3	श्री यशपाल (ड्राईंग अध्यापक)	14100
4	श्रीमती ममता रानी (ट्रेनर कोपा)	14100
5	श्री सोमनाथ (अंशकालीन सफाई कर्मचारी)	1792
6	स्पोर्टस इण्डिया	4883
7	बिल संख्या 1813	5040
8	बिल संख्या 1808	4310
	योग	**72425**
	दर्शाया गया भुगतान	**72625**
	अन्तर	**₹200**

अतः उपरोक्त उल्लेखित अधिक व्यय दर्ज की गई ₹200/– की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान

का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। अतः स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रतिवर्ष स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान का स्थाई व अस्थाई अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जबकि स्थाई व अस्थाई सामान हेतु अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित होता है। अतः स्थाई व अस्थाई का अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त क्रय किए गए सामान की मद के अनुसार प्रविष्टियाँ की जाए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर न रखना

संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षुओं से शुल्क एवं निधियों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों के स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है तथा ऐसी अवस्था में रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः शुल्क एवं निधियों की प्राप्ति हेतु मुद्रित/क्रय की गई तथा जारी की गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर यथा संलग्न **परिशिष्ट "क"** पर विहित प्रपत्रानुसार तैयार करके अपेक्षित हस्ताक्षरों सहित जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि रसीदों के दुरूपयोग पर अंकुश सुनिश्चित हो सके।

32 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

33 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी (15) (xi) (v) 99/87 खण्ड–3–7927–7929दिनांक18.12.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) को

इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजने सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.